दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार
कार्यालय : निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)
वरूणालय भवन, फेस–।।, करोल बाग,
नई दिल्ली–110005

क्रमांक : दिजबो / निदे.(प्र.एवं क.) / 2014 / 5860-51 दिनॉक : 17-4-14

परिपत्र

यह देखा गया है कि दिल्ली जल बोर्ड में कार्यरत कर्मचारी, यूनियनों के प्रतिनिधि अथवा यूनियनों के पदाधिकारी, विभिन्न समस्याओं एवं मॉगों के संबंध में दि.ज.बो. के मुख्यालय, वरूणालय फेज–।। में उच्च अधिकारियों से मिलने के लिए उनके कार्यालयों में अपने आहरण एवं संवितरण अधिकारी / नियंत्रण अधिकारी से बिना लिखित अनुमति पत्र प्राप्त किए आ जाते हैं । कर्मचारियों, यूनियन के प्रतिनिधियों अथवा पदाधिकारियों के इस प्रकार से आने के कारण कर्मचारियों की समस्याओं एवं मॉगों के संबंध में पूर्ण जानकारी विधिवत रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिस कारण उनकी समस्याओं एवं मॉगों को समझने एवं उन पर आवश्यक कार्यवाही करने में अनावश्यक देरी होती है ।

इस सदर्भ में श्रम कल्याण विभाग द्वारा विस्तृत निर्देशात्मक आदेश क्रमांक : दिजबो / उ.नि.(श्र.क.) / यूनियन / 2011 / 137136 दिनॉक 9.12.2011 को पहले से ही जारी किया गया है, जिसका पूर्णतः पालन नहीं किया जा रहा है ।

अतः उपरोक्त संदर्भित निर्देशात्मक आदेश दिनॉक 9.12.2011 को सख्ती से पालन करने हेतू पुनः परिपत्रित किया जा रहा है ।

संलग्न : **निर्देशात्मक आदेश**

(अमित सतीजा)
निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)

सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी : कृपया इस निर्देशात्मक आदेश **दिनॉक 9.12.2011** का अपने अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों से अनुपालन करवायें ।

प्रतिलिपिः–

1. उपाध्यक्ष, दिल्ली जल बोर्ड
2. सभी सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड
4. सदस्य (प्रशासन) / (वित्त) / (जल आपूर्ति) / (ड्रेनेज) / मुख्य सतर्कता अधिकारी
5. सभी मुख्य अभियन्ता / निदेशक / अधीक्षण अभियन्ता / संयुक्त निदेशक(राजस्व)
6. अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता) / सभी उप–निदेशक (राजस्व एवं प्रवर्तन) / सभी सहायक आयुक्त / सहायक आयुक्त (ई.डी.पी.)
7. विधि अधिकारी / उप–निदेशक (विधि) / परामर्शदात्री (जन सम्पर्क)
8. मुख्य सुरक्षा अधिकारी / उप–मुख्य सुरक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
9. सभी यूनियन, दिल्ली जल बोर्ड
10. नोटिस बोर्ड

निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)

EXECUTIVE ENGINEER (EDP)
DIARY No. 1286
DATE 21/4/14

91

दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार
कार्यालय : उप निदेशक (श्रम कल्याण)
वरूणालय 'बी' बिल्डिंग, करोल बाग
नई दिल्ली - 110005.

क्रमांक : दिजबो/उ.नि.(श्र.क.)/यूनियन/2011/ 17713 6 दिनांक : 9-12-11

निर्देशात्मक आदेश

प्रायः यह देखा गया है कि दिल्ली जल बोर्ड में कार्यरत कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधि अथवा यूनियनों के पदाधिकारी कर्मचारियों की मॉगों के संबंध में दि.ज.बो. के मुख्यालय वरूणालय फेज-।। में उच्च अधिकारियों से मिलने के लिए उनके कार्यालयों में बिना पूर्व अनुमति अथवा बिना पूर्व सूचना के मिलने आते हैं । इस प्रकार इन पदाधिकारियों द्वारा उच्च अधिकारियों से मिलने के कारण न केवल यूनियन के प्रतिनिधियों/पदाधिकारियों की बातों को अधिकारियों द्वारा ध्यान से सुन पाना संभव होता है बल्कि अधिकारियों का किसी मीटिंग या किसी कार्य विशेष में व्यस्त रहने पर उनके दैनिक कार्यों में भी बाधा पहुँचती है, जिससे अंततः कर्मचारियों के संबंध में प्रस्तुत किये गये कार्यों का निष्पादन ही बाधित होता है ।

यह भी देखा गया है कि यूनियन के प्रतिनिधि/पदाधिकारी अपने साथ अधिकतर मौकों पर दस या इससे अधिक लोगों के साथ जल बोर्ड मुख्यालय में अधिकारियों से मिलने आते हैं । कई बार तो सुरक्षा अधिकारियों द्वारा उनके प्रवेश पर रोक लगाने के कारण बात झगड़े तक पहुँच जाती है । अतः यह एक अवांछित एवं अप्रिय स्थिति है जिससे बचा जा सकता है ।

इस संदर्भ में सक्षम अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा वरूणालय परिसर में उच्च अधिकारियों से मिलने के लिए लागू नियमों के विषय में कई बार निर्देशात्मक आदेश जारी किये जा चुके है परन्तु यह देखा गया है कि कर्मचारी, यूनियन के प्रतिनिधि/पदाधिकारी उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं । अतः मुख्यालय परिसर में कार्यरत उच्च अधिकारियों से मिलने के लिए इन नियमों को पुनः परिपत्रित किया जा रहा है जिसका सभी संबंधित कर्मचारियों एवं यूनियनों के प्रतिनिधियों/पदाधिकारियों द्वारा पालन करना अनिवार्य है :-

जारी......2/-

13/12/11

Asstt. Commissioner (W)
Delhi Jal Board
Diary No....3253.............
Date 12-12-2011

1. कोई भी कर्मचारी यदि अपनी शिकायत/परेशानी के संबंध में यदि मुख्यालय परिसर में किसी उच्च अधिकारी से मिलना चाहता है तो वह अपने आहरण एवं संवितरण अधिकारी/नियंत्रक अधिकारी से लिखित में अनुमति पत्र लेकर आएगा तभी उसे सुरक्षा अधिकारी द्वारा वरूणालय परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।

2. कोई भी यूनियन का प्रतिनिधि/पदाधिकारी यदि अपनी मॉगों के संदर्भ में उच्च अधिकारियों/अधिकारियों से मिलना चाहते हैं तो उन्हें इस संदर्भ में उप-निदेशक (श्रम कल्याण) के कार्यालय में संपर्क करना होगा और अपनी मॉगों के संदर्भ में मिलने के लिए उप-निदेशक (श्रम कल्याण) के कार्यालय से पूर्व निर्धारित समय लेना होगा और इस संदर्भ में उप-निदेशक (श्रम कल्याण) के कार्यालय द्वारा यूनियन के प्रतिनिधियों/पदाधिकारियों को पूर्व निर्धारित समय के अनुसार मीटिंग के लिए लिखित रूप मे सूचित किया जायेगा ।

प्रशासन द्वारा यूनियनों की मॉगों के संदर्भ में चर्चा हेतू छः माह में एक बार बैठक ली जाएगी ।

3. यूनियन का पदाधिकारी अथवा प्रतिनिधि अपने एवं कर्मचारियों के कार्य के लिए **केवल मंगलवार एवं बृहस्पतिवार को सांय 4.00 से 5.00 बजे तक** वरूणालय परिसर में उच्च अधिकारियों से मिल सकते हैं । इस दौरान यूनियन के केवल तीन प्रतिनिधियों/पदाधिकारियों को ही सुरक्षा अधिकारी द्वारा मुख्यालय में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी ।

4. जो यूनियन का प्रतिनिधि/पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से उच्च अधिकारियों से मिलना चाहते हैं वे अकेले ही उच्च अधिकारियों से मिलने के लिए जा सकेंगे, यह ध्यान रखा जाये कि उनके साथ कोई अन्य व्यक्ति उच्च अधिकारी के कक्ष में प्रवेश न करे ।

5. उच्च अधिकारियों से मिलने के समय उनके कक्ष के बाहर जोर जोर से बात न करें और न ही उच्च अधिकारियों के कमरों के बाहर बैठे संबंधित कर्मचारियों से अपनी पारी आने से पहले मिलने के लिए जिद्द या झगड़ा इत्यादि करें ।

जारी........3/-

6. संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों/नियंत्रक अधिकारियों को यह सुझाव दिया जाता है कि वे मुख्यालय आने के लिए जो कर्मचारी, यूनियन प्रतिनिधि अथवा पदाधिकारी उनसे अनुमति माँगता है तो वह उससे उच्च्व अधिकारियों से मिलने का कारण पूछे और यदि उच्च्व अधिकारियों से मिलना आवश्यक हो तभी उस कर्मचारी को अनुमति प्रदान करें और मिलने का जो कारण उस कर्मचारी ने बताया है उसे अनुमति पत्र में दर्ज कर लिखें ।

7. सुरक्षा विभाग के अधिकारी व कर्मचारी दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालयों से आने वाले कर्मचारियों, यूनियन के प्रतिनिधियों अथवा पदाधिकारियों से उपरोक्त विषय में लिखित अनुमति पत्र देखें । यदि कोई कर्मचारी यूनियन प्रतिनिधि अथवा पदाधिकारी संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी/नियंत्रक अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय में घुसने का प्रयास करे तो उसे मुख्यालय में न घुसने दें और ऐसे व्यक्तियों की शिकायत लिखित रूप से उच्च्व अधिकारियों से करें ।

(प्रकाश चन्द्र)
उप निदेशक (श्रम कल्याण)

<u>सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी</u> : कृपया इस निर्देशात्मक आदेश का व्यापक प्रचार अपने अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों के बीच अनुपालन हेतू करवायें ।

प्रतिलिपिः-

1. उपाध्यक्ष, दिल्ली जल बोर्ड
2. सभी सदस्य, दिल्ली जल बोर्ड
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड
4. सदस्य (प्रशासन)/(वित्त)/(जल आपूर्ति)/(ड्रेनेज)/मुख्य सतर्कता अधिकारी
5. सभी मुख्य अभियंता/निदेशक/अधीक्षण अभियंता/संयुक्त निदेशक (राजस्व)
6. अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता)/सभी उप-निदेशक (राजस्व एवं प्रवर्तन)/सभी सहायक आयुक्त/सहायक आयुक्त (ई.डी.पी.)
7. विधि अधिकारी/उप-निदेशक (विधि)/परामर्शदात्री (जन संपर्क)
8. मुख्य सुरक्षा अधिकारी/उप-मुख्य सुरक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
9. सभी यूनियन, दिल्ली जल बोर्ड
10. नोटिस बोर्ड

उप निदेशक (श्रम कल्याण)